भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1113**

उत्‍तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2015

7 श्रावण, 1937 (शक)

**भारतीय एथलेटिक्‍स संघ द्वारा मैराथन और रोड रेस पर प्रतिबंध**

1113 . श्री पॉल मनोज पांडियन :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय एथलेटिक्स संघ (ए॰ एफ॰ आई॰) ने मैराथन और रोड रेस पर

प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय एथलेटिक्स संघ ने राष्‍ट्रीय और राज्य स्तरीय एथलीटों को किसी मैराथन अथवा रोड रेस, जैसे इसकी सहमति के बिना आयोजित की गई दिल्ली मैराथन में भाग न लेने के लिए कहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने केन्द्रीय निधियां प्राप्‍त करने वाले निकाय के खिलाफ

नियामक अंतक्षेप द्वारा निष्पक्ष व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से सम्पर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**युवा कार्यक्रम और खेल राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री सर्बानन्‍द सोनोवाल )**

(क) और (ख) : भारतीय एथलेटिक्‍स संघ (एएफआई) ने 11/12 अप्रैल, 2015 को आयोजित अपनी वार्षिक बैठक में अन्‍य बातों के साथ-साथ उन राज्‍य यूनिटों/अधिकारियों/खिलाड़ियों तथा व्‍यक्‍तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्णय लिया जो अनधिकृत मैराथनों को प्रोत्‍साहित करते हैं तथा ऐसी मैराथनों का हिस्‍सा बनते हैं, जिनके लिए एएफआई की अनुमति नहीं ली गई। राष्‍ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर कोई भी रोड रेस/मैराथन आयेाजित करने से पहले एएफआई की अनुमति प्राप्‍त करना अनिवार्य कर दिया गया।

(ग) और (घ) : जी, हां। सरकार ने भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग से संपर्क किया है क्‍योंकि एएफआई द्वारा लिया गया निर्णय प्रतिस्‍पर्धा के विरूद्ध तथा जमीनी-स्‍तर पर खेलों के विकास के प्रतिकूल प्रतीत होता है, जिससे स्‍वस्‍थ प्रतियोगिता का मार्ग अवरूद्ध हो सकता है तथा इससे खेलों के संवर्धन और खिलाड़ियों के हितों की सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

**\*\*\*\*\***